न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —04 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025 / 4

नाथूलाल महावर पुत्र स्व0 मांगीलाल उम्र 79 वर्ष निवासी चैतन्य हनुमान मंन्दिर के सामने, जगदीश होटल के पास लाडपुरा कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र श्री नाथूलाल महावर
2. श्रीमती पूनम उर्फ पूर्णा देवी पत्नी श्री श्यामलाल
   निवासीगण जे—12, पंचवटी नगर, पुलिस थाने के सामने, कुन्हाडी कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 21.11.2024 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा मिसल नंबर 19 / 2022

उपस्थितः—

1. श्री मनोज चाचोदिया, अभिषक अपीलांट
2. श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 15.04.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर वास्ते प्रार्थी की अचल सम्पत्ति से अप्रार्थीगण को वेदखल करने हेतु अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के विरूद्व दिनांक 21.01.2022 को प्रस्तुत करने पर दिनांक 21.11.2024 को आदेश पारित किया है कि—" प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण क विरूद्व एक वाद माननीय न्यायालय सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट कम—1 दक्षिण कोटा में घोषणा, वेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा बावत पेश किया हुआ है । प्रार्थी ने एक दिवानी वाद भी सिविल न्यायालय में पेश कर रखा है इसलिए दो न्यायालयों में वाद पोषणीय नही है । जिस कारण प्रार्थी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं समझते है । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

2. उक्त आदेश दिनांक 21.11.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.12.2024 को पेश की गई है कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वरिष्ठ नागरिक की सहायता करने एवं उसकी सम्पत्ति दिलवाने हेतु स्थापित विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दीवानी वाद विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि न्याय एवं संचिका में सिद्वी प्राप्त सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत होने से एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधि पूर्ण विवेचन किये बिना ही पारित कर दिया जो विधि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री अशोक कुमार गुप्ता का वकालतनामा पेश हुआ । अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित । विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम के तहत सहायतार्थ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें विधि द्वारा एक वरिष्ठ नागरिक को धारा 23 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के द्वारा अपनी सन्तानों पर भविष्य की सुरक्षा मानते हुए उनके पक्ष में किसी प्रकार का अन्तरण दस्तावेज भी निष्पादित कर दिया है ओर पश्चातवर्ती कम में सन्तानों के द्वारा वरिष्ठ नागरिक का उत्पीडन किया जाता है या बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था में विफल रहता है तो उक्त अन्तरण निरस्तनीय हो जाता है जिसे निरस्त करने का अधिकार स्थापित विधि प्रदान करती है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से दस्तावेजीय साक्ष्य अपने स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत किये है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया था कि रेस्पोडेन्ट्स को उसके द्वारा अपने पारिवारिक सदस्यों के रूप में अनुज्ञा के आधार पर उक्त मकान निवास हेतु प्रदान किया था जिस पर आज भी अपीलार्थी वरिष्ठ नागरिक का ही स्वामित्व निर्बाध रूप से चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा उक्त सम्पत्ति को हडपने हेतु हर सम्भव उत्पीडन अपीलार्थी व उसकी मृतक पत्नी का किया इस सम्बन्ध में अपीलार्थी के द्वारा पर्याप्त साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से सिर्फ अन्य न्यायालयों में वाद विचारणीय होने का लाभ रेस्पोडेन्ट्स को प्रदान किया जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है । जबकि अपीलार्थी के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है, उसमें रेस्पोडेन्ट्स द्वारा स्वीकारोक्ति के रूप में प्रेषित जवाब नोटिस दिनांक 28.10.2021 के पृष्ठ संख्या 4 में स्पष्ट रूप से भविष्य में भाईयों के मध्य विवाद न हो इसलिये दोनों के मध्य बंटवारा कर दस्तावेज निष्पादित किया जाना उल्लेखित किया है और इस प्रकार स्वयं रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा यह उलेखित कर दिया गया है कि सन्तानों के द्वारा व्यथित होकर कार्यवाहियां की गई तो उसमें रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं को स्वामी सिद्व करने हेतु उनके द्वारा निमार्ण में राशि व्यय करने के आधार पर स्वयं को स्वामी बताने का प्रयास किया जो जवाब व रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि उनके द्वारा अपने कर्तव्यों की पूर्ति किये बिना ही उत्तराधिकारी के रूप में अधिकार प्राप्त करने के प्रयास में निरंतर माता पिता को प्रताडित किया जाता रहा और ऐसी स्थिति में ही वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु धारा 23 प्रभावी होती है जहां यदि किसी प्रकार के अन्तरण दस्तावेज भी निष्पादित करवा दिये गये हो और मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाने में उत्तराधिकारी विफल रहते हो तो ऐसे अन्तरण दस्तावेज भी निरस्त किये जाने योग्य है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार के अन्तरण दस्तावेज निष्पादित ही नहीं किये गये है यहां सिर्फ मौखिक अनुज्ञा के आधार पर कब्जा हस्तांतरण किया गया है और ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा विधि के स्पष्ट प्रावधान की सर्वथा अवहेलना की परिभाषा में आता है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थी के द्वारा स्वयं के स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत किये है जो यह प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य है कि प्रार्थी ही उक्त सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी है जबकि प्रतिपक्षी के द्वारा स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई सक्षम दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया और सिर्फ कब्जा व स्वामित्व अंकित कर स्वयं को भूस्वामी घोषित करने का प्रयास किया है जबकि विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि वास्तविक स्वामी के विरूद्व बिना सक्षम दस्तावेज के कोई अधिकार किसी तृतीय पक्ष को प्राप्त नहीं होता है और यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दीवानी प्रकरण विचाराधीन होने से किसी विशिष्ट विधि के तहत कार्यवाही के निस्तारण पर कोई प्रभाव नहीं पडता है और इस प्रकार प्रस्तुत जेर अपील आदेश की कार्यवाही विशिष्ट विधि के रूप में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षार्थ के उद्देश्य से ही निर्मित की गई है और ऐसी स्थिति में स्पष्ट स्वामित्व वाली अपीलार्थी पिता की सम्पत्ति पर पिता के ही उपयोग उपभोग को बाधिक कर स्वयं को स्वामी घोषित करने

जिला कलक्टर
कोटा

वाले पुत्र प्रतिपक्षी के कृत्य व आचरण उसके जवाब से ही स्पष्ट थे और ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि पूर्ण विवेचन किये बिना ही स्थापित विधि की सरासर अवहेलना कर पारित आदेश जेर अपील निरस्तनीय है । रेस्पोडेन्ट एक अभियन्ता है जिसके पास अनेक श्रमिक व ठेकेदार कार्यरत है और उसका निमार्ण सामग्री वालों से सम्पर्क है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कच्ची रसीदें जिन्हें तैयार करवाना उसके लिये कोई कठिन कार्य नहीं है और ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थी जो उसे विवादित सम्पत्ति का स्वत्व दर्शित करती हो और ना ही स्थापित विधि के विरूद्व ऐसी कोई विधि है जो वरिष्ठ नागरिक के रूप में अपीलार्थी को प्रस्तुत विधि का लाभ उठाने से वंचित करती है । उक्त सम्बध में वरिष्ठ नागरिकों की सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 2.01.2025 को उनवान उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित में पारित कर विस्तृत विवेचेना की है जहां तक अन्य प्रकरणों के विचारणीय होने के कारण धारा 23 का लाभ देने में असमर्थतता का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 7.3.2024 उनवान दीपक कुमार व अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं अपील अधिकारी पैरा नं0 10 में स्पष्ट किया, दोनों विधियां पृथक पृथक दृष्टिकोण रखती है और दोनों के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है तथा दीवानी न्यायालय में वाद विचारण होने मात्र से प्रस्तुत विधि के आधार पर निर्णय पारित किया जाना किसी भी प्रकार से अविधि नहीं है और अन्य वाद विचाराधीन होने के आधार पर अपीलार्थी को उसके इस विधि में प्रदान किये गये संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता । वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रतुत किये है–

1 माहेश्वरी देवी बनाम जी.एन.सी.टी. दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय दि0 19.2.2024

2 ज्योत कुमार बनाम जी.एन.सी.टी. दिल्ली– दिल्ली उच्च न्यायालय 01.8.23

3 शमशेर सिंह बनाम द डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट यूनियन– पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय दिनांक 26.9.2023

4 जस्टिस शान्ति स्वरूप देवन बनाम यूनियन टेरिटरी पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय दिनांक 26.9.2013

5 अश्विन्दर सिंह बनाम भगवंत सिंह व अन्य पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय दिनांक 17.01.2014

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी वहस में कथन किया कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से रेस्पोडेन्ट की वेदखली चाही गई है, चूंकि उक्त वर्णित मकान के सम्बन्ध मे अपीलांट ने एक दीवानी वाद वास्ते घोषणा वेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व 2 जा0दी0 का सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 1 दक्षिण कोटा में प्रस्तुत किया हुआ है जहां से उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होना है, एक ही सम्पत्ति के सम्बन्ध में दीवानी वाद के विचाराधीन रहते हुए वरिष्ठ सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र से चाहा गया अनुतोष अपीलांट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया है । प्रार्थना पत्र एवं अपील में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते हुए सीनियर सिटीजन एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थी अपीलांट क्लीन हेण्ड नहीं आये है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होने से प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य होने से खारिज फरमाई जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.11.2024 के विरूद्ध दिनांक 24.12.2024 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति से अप्रार्थीगण को बेदखल करने एवं प्रार्थी एवं उसके बड़े पुत्र रामदेव एवं पुत्रवधु संगीता तथा उनके बच्चों को अप्रार्थीगण से जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश चाहे गये है । हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह जाहिर हो रहा है कि पंचवटी नगर पुलिस थाने के सामने कुन्हाडी कोटा का प्लाट नं0 जे–12 पैमाईश 205.83 वर्गगज प्रार्थी अपीलांट के नाम से नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है किन्तु अप्रार्थी रेसपोडेन्ट द्वारा उक्त मकान निर्माण में उनके द्वारा भी पैसा लगाने का कथन किया है, तथा उक्त मकान के सम्बन्ध में अपीलांट एवं रेसपोडेन्ट के मध्य सम्पत्ति का दीवानी वाद दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है, इसी को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अप्रार्थीगण की बेदखली खारिज की है । उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सीनियर सिटीजन एक्ट की मूल भावना के अनुकूल नहीं है क्योंकि प्रार्थी के दोनों पुत्रों के मध्य भी विवाद जाहिर हो रहा है प्रार्थी केवल रेसपोडेन्ट को ही उक्त वर्णित मकान से बेदखल चाहता है तथा अन्य बड़े पुत्र रामदेव को संरक्षण चाहते है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित होने से किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानते है । वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में पूर्णरूप से चस्पा नहीं मानते है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार करने के के पर्याप्त एवं विधिक ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से तथा वर्णित सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में दीवानी वाद विचाराधीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.11.2024 में हस्तक्षेप करना उचित पाते है ।

8. निर्णय आज दिनांक 15.4.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा